न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 54/2024   दायर दिनांक–15.04.2024

1 श्योपालराम पुत्र फलाराम जाति मीणा निवासी टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. बलराम पुत्र श्योपाल
2. गोमाराम पुत्र श्योपाल
3. सुभाषचन्द्र पुत्र श्योपाल
4. बंशीधर पुत्र फलाराम समस्त जाति मीणा निवासी टोडपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5. भागीरथ पुत्र फलाराम जाति मीणा निवास ग्राम सिरोही तहसील व जिला नीमकाथाना।
6. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी :– श्री कृष्ण कुमार गुर्जर

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 28.06.2024

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम धींवा की ढाणी पटवार हल्का टोडपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2019/325 रकबा 0.3400 है0 खसरा नम्बर 2020/328 रकबा 0.0800 है0 खसरा नम्बर 2024/413 रकबा 0.2800 है0 खसरा नम्बर 2025/442 रकबा 0.8300 है0 खसरा नम्बर 318 रकबा 0.1500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6800 है0 भूमि स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमि वादी की खातेदारी काश्त की भूमि है जिसमे प्रतिवादीगण का कोई सीर सांझा नही है। प्रतिवादीगण आपस में मिले हुए है। वादी की वादग्रस्त भूमि जो बारवा से टोडपुरा जाने वाली आम सड़क पर स्थित है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर नाजायज रूप से पत्थर के पीलर लगाकर कब्जा करने पर अमादा है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि को खुर्द बुर्द करने पर अमादा है। जिसका की उन्हें कोई अधिकार नही है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम धींवा की ढाणी पटवार हल्का टोडपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2019/325 रकबा 0.3400 है0 खसरा नम्बर 2020/328 रकबा 0.0800 है0 खसरा नम्बर 2024/413 रकबा 0.2800 है0 खसरा नम्बर 2025/442 रकबा 0.8300 है0 खसरा नम्बर 318 रकबा 0.1500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6800 है0 भूमि के किसी भी भाग पर वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखंलदाजी नही करें ना ही अपने अधिनस्थ नौकर चाकर व रिश्तेदार आदि से करवाये। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की ओर से वकील श्री कृष्ण कुमार ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 06 की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जबाब नही पेश कर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु सहमति देने पर तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी महेन्द्र पुत्र गीगराज का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–02 नकल नक्शा ट्रैस आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वकील प्रतिवादीगण ने वाद पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातवेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी काश्त की भूमि है जिसपर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नही है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को उक्त विवादग्रस्त भूमि के

हवाई सिंह
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

12

मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम धींवा की ढाणी पटवार हल्का टोडपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2019/325 रकबा 0.3400 है0 खसरा नम्बर 2020/328 रकबा 0.0800 है0 खसरा नम्बर 2024/413 रकबा 0.2800 है0 खसरा नम्बर 2025/442 रकबा 0.8300 है0 खसरा नम्बर 318 रकबा 0.1500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6800 है0 भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है उक्त भूमि में वादी के हक हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा/दखलंदाजी पैदा नही करें तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/06/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

13

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 54/2024 **(श्योपालराम बनाम बलराम आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **हवाई सिंह यादव** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.06.2024 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम धींवा की ढाणी पटवार हल्का टोडपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2019/325 रकबा 0.3400 है0 खसरा नम्बर 2020/328 रकबा 0.0800 है0 खसरा नम्बर 2024/413 रकबा 0.2800 है0 खसरा नम्बर 2025/442 रकबा 0.8300 है0 खसरा नम्बर 318 रकबा 0.1500 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6800 है0 भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है उक्त भूमि में वादी के हक हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा/दखलंदाजी पैदा नही करें तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.06.2024 को जारी की गई।

हवाई सिंह यादव 28/06/24

हवाई सिंह यादव (R.A.S.)

सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़

मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00